न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 121/2019
रज्जू दिनांक 03–09–2019

पीठासीन अधिकारी
श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

1. कल्पना देवी पत्नी श्री कृष्णदत्त शर्मा उम्र 55 वर्ष जाति ब्रह्मण निवासी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राज0

(वादीनी)

बनाम्

1. लोकेश सिंह पुत्र स्व. गणपत सिंह
2. अनार कंवर पत्नी फतेहसिंह
3. बहादूर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह

} जाति राजपुत निवासी ग्राम खारीवाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

4. रेवड़ पुत्र प्रभात जाति रैगर निवासी ग्राम खारीवाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
5. भौरीदेवी पत्नी भौरीलाल हरि0 ब्रह्मण निवासी ग्रम खारीवाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. आशुतोष पुत्र घनश्याम जाति ब्रह्मण निवासी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0
8. मांगूसिंह पुत्र स्व. गणपत सिंह
9. नयन कंवर पत्नी स्व. गणपत सिह

} जाति राजपुत निवासी ग्राम खारीवाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

निर्णय

दिनांक : 19-1-2021

संक्षिप्त मे इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी कल्पना देवी द्वारा वाद पत्र तकारस्मा दिनांक 03–09719 को न्यायालय के समक्ष पेश किया कि आराजी खसरा नं0 82/32 रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम खारीवाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि मे वादीनी का हिस्सा 357/1033 है। प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 20/1033 है। प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 100/1033 है। प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 100/1033 है। प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

(2)

200 / 1033 हैं। प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 79 / 1033 हैं तथा प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 177 / 1033 हैं। उक्त भूमि वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में वैधानिक तकास्मा नहीं हुआ हैं। परन्तु पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बटवारा करके उक्त भूमि में काश्त करते आ रहे हैं तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर बोते खाते आ रहे हैं। वादीनी ने अपने हिस्से की भूमि के चारो तरत गड्डू गढवाकर तार फैन्सिंग कर मौके पर कब्जा कर रखा हैं। तथा सभी खातेदारान द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर तार गड्डू गढवा रखे हैं। वादीनी ने अपने हिस्से की भूमि पर लाखो रूपये की चाठीया तथा जे.सी.बी. मशीन से सुधार कार्य करवाया हैं। इस वाद पत्र में वादीनी ने दिनांक 28–08–19 को वाद कारण पैदा होना बताया हैं। तथा मुख्य अनुतोष में वादीनी ने उक्त आराजीयात की मौके अनुसार कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने की प्रार्थना की हैं। इस पर वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 की ओर से प्रकरण में इकबाली जवाब दावा पेश कर विभाजन किये जाने की सहमति प्रदान की। एवं अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा अपनी सहमति मुताबिक कुर्रेजात वाद डिक्री हेतू जाहिर की हैं। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद पर्याप्त तामील रजिस्टर्ड ए.डी. से भी उपस्थित नहीं आया तदुपरान्त प्रकरण में दिनांक 31–07–2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबंदी कुर्रेजात 3–3 प्रतियो में न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में बहस अंतिम वकील वादीनी की सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात पर वकील उभय पक्ष द्वारा अपनी सहमति जाहिर कर वाद मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया हैं। बाद अवलोकन मुताबिक कुर्रेजात वादीनी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि मुताबिक कुर्रेजात आराजी खसरा नं0 82/32 रकबा 51 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम खारीवाड़ा तहसील लालसोट वाली भूमि के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक पृथक लगान का निर्धारण कर दिया जावे। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट